आज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
कैम्प कोर्ट उदयपुरवाटी

द ब्रजलाल – श्री शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

शंकरलाल

बनाम बूजीदेवी आदि

वाद स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं0 362 / 2016
निर्णय दिनांक 13.7.2017

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट उदयपुरवाटी में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी ने वादपत्र के जरिये अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम गुढागोड़जी के भूमि खसरा नम्बर 1323 व 1323 / 5 को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय रहन आदि नहीं करे एवं वादी के उपयोग उपभोग में कोई दखलदांजी नहीं करें। वकील वादी को सुना गया वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि है तथा प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि को बेचान व रहन करने पर आमादा है। इसलिए उनको जरिये स्थाई व्यादेश से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बूजी देवी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी नं0 1 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की की माता है। उक्त वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि है तथा पैत्रिक भूमि को बिना आवश्यकता के विक्रय करने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं है। उक्त विवेचन से वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई व्यादेश से पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई व्यादेश से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम गुढागोड़जी के भूमि खसरा नम्बर 1323 व 1323 / 5 की भूमि का बेचान व रहन नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 13.7.2017 को कैम्प कोर्ट उदयपुरवाटी में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner